

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 1045 / 2014

संस्थित दि: 10 / 11 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. चरनलाल पिता चन्दनलाल, उम्र 30 साल, जाति पवार,
निवासी कोसमी थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. चिंतामन पिता सीताराम सोनी, उम्र 45 साल, जाति सुनार,
निवासी चकरवाही थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपीगण

—:: **निर्णय** ::—

(आज दिनांक 13 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी चरनलाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 तथा आरोपी चिंतामन पर मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)क / 177 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी चरनलाल ने दिनांक 10 / 08 / 2014 को समय 07:00 बजे कुरेण्डा तिराहा थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन बजाज मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.07-एफ.6619 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना बैध लायसेंस व बीमा के चलाते हुये पाया गया था आरोपी चिंतामन ने उक्त वाहन का अंतरक होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी प्रकाश सोनवाने ने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 10.08.2014 को शाम के 07:00 बजे वह और उसकी पत्नी सुजुकी मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.07-जेट.ई.7949 से कुरेण्डा रिस्तेदारी में जा रहे थे, जैसे ही वह कुरेण्डा तिराहा परसवाड़ा मेन रोड पर पहुंचे तो चरनलाल ने बजाज बॉक्सर मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 07-एफ.6617 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मार दी, जिससे वह और उसकी पत्नी मोटरसाईकिल सहित गिर गये तथा उन्हें चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी चरनलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी चरनलाल को गिरफ्तारी कर आरोपी से वाहन जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 50(1)क/177 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी चरनलाल को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/180, 146/196 तथा आरोपी चिंतामन को मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)क/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी चरनलाल ने दिनांक 10/08/2014 को समय 07:00 बजे कुरेण्डा तिराहा थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन बजाज मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.07-एफ.6619 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी चरनलाल ने इसी दिनांक समय व स्थान पर वाहन बजाज मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 07-एफ.6619 को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुये पाये गये ?

(3) क्या आरोपी चरनलाल ने इसी दिनांक समय व स्थान पर वाहन बजाज मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 07-एफ.6619 को बिना वैध बीमा के चलाते हुये पाये गये ?

(4) क्या आरोपी चिंतामन ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी. 07-एफ.6619 के अंतरक होते हुये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी चरनलाल को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/180, 146/196 तथा आरोपी चिंतामन को मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)क/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी चरनलाल को द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/180, 146/196 तथा आरोपी चिंतामन के द्वारा मोटरयान

अधिनियम की धारा 50(1)क/177 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी चरनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/180, 146/196 तथा आरोपी चिंतामन को मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)क/177 के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(09) आरोपी चरनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप के अन्तर्गत 1000/- एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप के अन्तर्गत 500/- के अर्थदण्ड एवं 146/196 के आरोप के अन्तर्गत 1000/- के अर्थदण्ड तथा आरोपी चिंतामन को मोटरयान अधिनियम की धारा 50(1)क/177 के आरोप के अन्तर्गत 100/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बजाज मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.07-एफ. 6619 सुपुर्दगी पर है । सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट